



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 22-05-21

दिनांक 06.05.21 को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का किया सफल अनवारण, घटना कारित करने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल छुरी, चाकू व अवैध असलाह बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

श्री गुलशाद पुत्र नवी खान मेवाती चौक वेहटा हाजीपुर थाना लोनी वार्डर गाजियाबाद जेड कार्गो ट्रेम्पो ट्रांसपोर्ट कं० मंडोली दिल्ली ने अपनी कम्पनी में कार्यरत हैल्पर सन्नी पुत्र मुकेश निवासी गांव वडावत थाना विनोली जिला बागपत की बलरामनगर चौराहे पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 06.05.21 को चाकू मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में एक तहरीर थाना लोनी बोर्डर पर दी गई थी । तहरीर पर तत्काल थाना लोनी बोर्डर पर मु०अ०सं० 299/21 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी को निर्देशित किया गया था । आदेश-निर्देशों के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था ।

गठित टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही/प्रकाश में आये अभियुक्तों 1- फरमान उर्फ मोटा पुत्र इमरान नि० लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2- सिराज पुत्र राशिद नि० लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद 3- फरमान उर्फ लाली पुत्र इंतजार नि० लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद को दिनांक 22.05.21 को मुखबिर की सूचना पर 02 न० बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त फरमान उर्फ मोटा उपरोक्त के कब्जे से आलाकत्ल छुरी, अभि० सिराज उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभि० फरमान उर्फ लाली के कब्जे से एक चाकू नाजायज , घटना में प्रयुक्त बरामद किये गये हैं । अभियुक्तों द्वारा लूटपाट करने के उद्देश्य तथा सन्नी (मृतक) द्वारा लूट का विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1- फरमान उर्फ मोटा पुत्र इमरान नि० लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- 2- सिराज पुत्र राशिद नि० लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद
- 3- फरमान उर्फ लाली पुत्र इंतजार नि० लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी

- 1- छुरी
- 2- एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3- एक चाकू

अभियुक्त फरमान उर्फ मोटा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 299/2021 धारा 302/201/393/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
2. मु०अ०स० 379/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

अभियुक्त सिराज का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 299/2021 धारा 302/201/393/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
2. मु०अ०स० 380/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

अभियुक्त फरमान उर्फ लाली का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 299/2021 धारा 302/201/393/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद



थाना कविनगर पुलिस द्वारा लूट की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण कर घटना को कारित करने वाले दो शातिर अभियुक्तो को किया गिरफ्तार,कब्जे से लूट से सम्बन्धित 2,000/- रुपये, अवैध असलाह व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर दिनांक 21.05.21 को पंजीकृत मु0अ0सं0 810/2021 धारा 342/394/506 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियोग मे वांछित अभियुक्त (1) आशीष पुत्र राकेश तोमर वर्ष निवासी नवादा जिला बुलन्द शहर व हाल निवासी मानसरोवर पार्क लाल कुँआ थाना कविनगर गाजियाबाद व (2) नीतिन शर्मा पुत्र कलुआ उर्फ कालीचरण शर्मा निवासी ग्राम बरौली थान खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर हाल निवासी सतेन्द्र जाटव का मकान मे भारत धर्म कांटा पंचकुला कालोनी लाल कुआं थाना कविनगर गाजियाबाद को दिनांक 22.05.2021 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बुलन्दशहर रोड पंजाब नेशनल बैंक के ATM थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल होन्डा शाईन रंग काला नं0 DL 7SBT 8899 व लूटे गये 2000/- रुपये व अभियुक्त आशीष उपरोक्त के कब्जे से तमंचा .315बोर व 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा वादी मुकदमा फिरोज खान पुत्र कमरुद्दीन निवासी रजाक कालोनी दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध को लिफ्ट देकर छोडने के बहाने से अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर ले गये थे, तथा वादी के साथ मारपीट कर लूट की घटना कारित की गई थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर दिनांक 21.05.2021 को मु0अ0सं0 810/2021 धारा 342/394/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) आशीष पुत्र राकेश तोमर निवासी नवादा जिला बुलन्दशहर व हाल निवासी मानसरोवर पार्क लाल कुँआ थाना कविनगर गाजियाबाद
- (2) नीतिन शर्मा पुत्र कलुआ उर्फ कालीचरण शर्मा निवासी ग्राम बरौली थान खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर हाल निवासी सतेन्द्र जाटव का मकान मे भारत धर्म कांटा पंचकुला कालोनी लाल कुआं थाना कविनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशीष-

- 1- मु0अ0सं0 810/2021 धारा 342/394/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 811/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1098/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
- 4- मु0अ0सं0 1100/2017 धारा 411,414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नितिन शर्मा-

- 1- मु0अ0सं0 810/2021 धारा 342/394/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

बरामदगी:-

- (1) घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल होन्डा शाईन रंग काला नं0 DL 7SBT 8899
- (2) एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
- (3) लूटे गये 2000 रुपये



थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल बरामद, घटना में शामिल 07 अभियुक्तो को पूर्व में किया जा है गिरफ्तार ।

श्रीमान उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन मे टीमे गठित कर आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु कडे निर्देश जारी किये थे। इसी क्रम मे गठित टीमो द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस, बयान व पूछताछ , भौतिक व परिस्थित जन्य साक्ष्य ,अन्य संकलित किये गये साक्ष्यो के आधार पर दि0 21.03.21 को पंजीकृत मु0अ0स0 196/21 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त आयुष उर्फ नबाब पुत्र नवीन त्यागी निवासी नियर कारनिवल कान्वेंट स्कूल कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को आज दिनांक 22.05.2021 को रावली कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक तमंचा 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना में शामिल 07 अभियुक्तो को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 21.03.21 को शाहरुख नामक युवक की हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

आयुष उर्फ नबाब पुत्र नवीन त्यागी निवासी नियर कारनिवल कान्वेंट स्कूल कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी

एक पिस्टल व दो कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस 32 बोर



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों/ माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा घर में चोरी की घटना का त्वरित अनावरण करते हुए घरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को चोरी किये गये तीन अदद मोबाईल फोन व नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया।

दिनांक 20/21-05-2021 की रात्रि में फ्लैट नं0 1666 तुलसीनिकेतन में जाली से हाथ डालकर फ्लैट की कुन्डी खोलकर तीन मोबाईल फोन चोरी करने के सम्बन्ध में थाना टीला मोड पर मु0अ0सं0 248/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसके सम्बन्ध में **थाना टीला मोड पुलिस द्वारा घर से मोबाईल चोरी की घटना का त्वरित अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को चोरी किये गये 03 अदद मोबाईल व एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया** थाना टीला मोड पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही व गहन चैकिंग की गयी तथा चैकिंग के दौरान शातिर चोर को दिनांक 22/05/2021 को समय 03-40 बजे मदर डेयरी तुलसीनिकेतन से शातिर चोर शिवम पुत्र सुरेन्द्र, निवासी 967, गौतमपुरी फेस 1, बदरपुर दिल्ली हाल पता विशाल बाल्मिकी मामा का मकान, गली नं0 11 गडडा कालोनी बाल्मिकी मौहल्ला हर्ष द्वितीय, थाना टीला मोड गाजियाबाद को एक चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 249/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

(1) शिवम पुत्र सुरेन्द्र, निवासी 967, गौतमपुरी फेस 1, बदरपुर दिल्ली हाल पता विशाल बाल्मिकी मामा का मकान, गली नं0 11 गडडा कालोनी बाल्मिकी मौहल्ला हर्ष द्वितीय, थाना टीला मोड गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामदगी -

(1) 03 मोबाईल फोन (1- मोबाईल OPPO F 19 PRO रंग सिलवर आई0एम0ई0आई0 नं0 863782054760870, 2- मोबाईल फोन SAMSUNG GALAXY A30 रंग काला आईएमईआई 354872100743065101, 03 - VIVO Y91-1- BLUE रंग नीला आई0एम0ई0आई0 नं0 860009051583276 सम्बन्धित मु0अ0सं0 248/21 धारा 380 भादवि)

(2) एक अदद चाकू नाजायज

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 248/21 धारा 380,411 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद

2- मु0अ0सं0 249/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना टीला मोड गा0बाद

2- मु0अ0सं0 66/21 धारा 380,411 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद



थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी का नवजात शिशु बरामद 11 अभियुक्तगण गिरफ्तार व बच्चा बिक्री के 5 लाख रुपये बरामद

दि0- 12/05/2021 को श्रीमति फातमा पत्नी फरियाद निवासी डाबर तालाब थाना लोनी गा0बाद द्वारा थाना लोनी को सूचना दी कि दोपहर करीब 12.00 बजे एक पुरुष व एक महिला मेरे कमरे पर किराये का कमरा देखने के बहाने आये थे। जिन्होंने मुझे चीनी के शरबत में कोई नशीला पदार्थ डालकर पिलाकर बेहोश कर मेरे बच्चा रमजानी उम्र करीब 15 दिन चोरी करके ले गये हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी पर मु0अ0सं0 0605/2021 धारा 364/328 भादवि पंजीकृत किया गया। श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी द्वारा प्र0नि0 लोनी के निर्देशन में तीन टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा गहनता से प्रयास कर चोरी किये गये बच्चे रमजानी को आलोक अग्निहोत्री पुत्र श्यामनाथ निवासी मधुबन नगर आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास -

1. वाहिद पुत्र इदरीश निवासी विजय नगर गा0बाद
2. तरमीम पत्नी रफीक निवासी उसमान कालोनी डासना गा0बाद
3. रुबिना पुत्री रफीक निवसी उसमान कालोनी डासना गा0बाद
4. प्रीति पत्नी सुमित निवासी वजीराबाद दिल्ली
5. सरौज पत्नी गुरदीप निवासी विकास पुरी दिल्ली
6. ज्योति पत्नी राहुल निवासी द्वारका दिल्ली
7. सरौज पत्नी निहाल निवासी बुद्ध विहार दिल्ली
8. मोनी उर्फ मोनिका पत्नी इमरान निवासी उसमान गढी डासना गा0बाद
9. असमीत कोर पत्नी गुरमीत निवासी तिलकनगर दिल्ली
10. गुरमीत निवासी उपरोक्त
11. आलोक अग्निहोत्री पुत्र श्यामनाथ निवासी मधुबन नगर आलम बाग लखनऊ।

मु0अ0सं0 0605/2021 धारा 364/328/370 भादवि थाना लोनी गा0बाद

फरार अभियुक्त 1. प्रतिभा, 2. इंदु, 3. शिवा।

